राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 11073/2018

जसपाल सिंह औलख पुत्र श्री विचितर सिंह औलख, लगभग 37 वर्ष की आयु, जाति जाट सिख, जी-29, गुलाबी बाग, चक-4-ए छोटी, पी. ओ.-साह्वाला, निकट-5-ए, गुरुद्वारा, पदमपुर रोड, तहसील और जिला श्री गंगानगर---- याचिकाकर्ता

बनाम

- सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।
- 2. सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
 - 3. निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बीकानेर।
- 4. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, श्रीगंगानगर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर--- उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए:- श्री के. आर. सहारण

उत्तरदाताओं के लिए:- श्री सुनील बेनीवाल एएजी के लिए श्री कुणाल उपाध्याय,

> माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा ऑर्डर

23/01/2024

- 1. इसमें याचिकाकर्ता की शिकायत शिक्षक ग्रेड III, स्तर II (पंजाबी विषय) के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची में उसका नाम शामिल नहीं होने से उत्पन्न होती है। वह दावा करता है कि उसने उपरोक्त परीक्षा में कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
- 2. पहले संक्षिप्त और प्रासंगिक तथ्य। प्रत्यर्थी अधिकारियों ने श्री गंगानगर में शिक्षक ग्रेड ॥ की भर्ती के लिए 2 अप्रैल, 2012 को एक विज्ञापन जारी किया। इस प्रारंभिक परीक्षा को कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप इसे फिर से आयोजित करने के लिए अदालत का निर्देश मिला, जो अंततः 2018 में हुआ। परीक्षा फिर से आयोजित की गई और याचिकाकर्ता, जो पूरी तरह से पात्र था, ने भाग लिया। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने 160.14 अंक प्राप्त किए, जबिक अंतिम सफल उम्मीदवार ने 161.46 अंक प्राप्त किए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति जिनके पास वैकल्पिक शिक्षण विषय यानी पंजाबी भी नहीं था, उन्हें उपरोक्त पद के लिए गैरकानूनी और मनमाने ढंग से चुना गया था। उनका चयन पूरी तरह से अपनी 10वीं या 12 वीं कक्षा में पंजाबी को एक विषय के रूप में रखने पर आधारित था। इस पद के लिए सभी आवश्यक योग्यताएँ होने के बावजूद, याचिकाकर्ता का चयन नहीं किया गया था। इसलिए, तत्काल रिट याचिका लगाई गयी है।

3. स्ना गया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि उत्तरदाताओं ने भेदभावपूर्ण तरीके से विचाराधीन पद पर कई उम्मीदवारों का चयन किया है क्योंकि उनके पास शिक्षण विषय यानी स्नातक में पंजाबी नहीं है और इस प्रकार उनके पास आवश्यक न्यूनतम योग्यता भी नहीं है। इसके कारण, याचिकाकर्ता, जिसके पास आवश्यक योग्यता है, का चयन नहीं किया गया है।

5. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा पैराग्राफ संख्या 3 में लिए गए विशिष्ट रुख की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। याचिका के संबंधित पैराग्राफ के कथनों के जवाब में जवाबी हलफनामें का पैरा संख्या 3 के याचिका के साथ-साथ संबंधित प्रतिक्रिया को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-"याचिका में पैरा संख्या 3:- 3. यहां यह प्रस्तुत करना उचित है कि याचिकाकर्ता के पास राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (इसके बाद "आरटीईटी" के रूप में संदर्भित) की योग्यता भी है। माननीय न्यायालय के अवलोकन के लिए, याचिकाकर्ता आर. टी. ई. टी. प्रमाणपत्र की प्रति भी संलग्न कर रहा है और इसे अनुलग्नक-2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

जवाब में पैरा संख्या 3: 3. रिट याचिका के पैरा नं. 3 में किए गए अभिकथनों के संबंध में ,यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने विशेष विषय के रूप में 'सामाजिक अध्ययन' के साथ आर. टी. ई. टी. परीक्षा उत्तीर्ण की। भर्ती अधिसूचना के खंड-14 (बी) में संलग्न नोट में कहा गया है कि -

"आवेदक द्वितीय स्तर कक्षा VI-VIII के विषय अध्यापक के लिये उसी विषय के लिये पात्र होगा जो कि राजस्थान अध्यापक पात्रता के प्रमाण पत्र में अर्हक विषय के रूप में अंकित है।"

इसका मतलब है कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में विशेषज्ञता विषय के रूप में 'पंजाबी' विषय रखने वाला उम्मीदवार ही उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए पात्र होगा। याचिकाकर्ता ने अपना आर. टी. ई. टी. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने 'पंजाबी' विषय के साथ आर. टी. ई. टी. परीक्षा उत्तीर्ण की है। जो भी हो, याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि उसका नाम योग्यता-सूची में आता है, या उस मामले के लिए, उन्होंने चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

- 6. उपरोक्त का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं पंजाबी की आवश्यकता के विपरीत आर. टी. ई. टी. परीक्षा में सामाजिक अध्ययन को अपने विशेष विषय के रूप में चुना था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विज्ञापन की भर्ती के खंड 14 के संदर्भ में, याचिकाकर्ता, अपनी इच्छा से, पंजाबी शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य प्रतीत होता है।
- 7. जहाँ तक उनके अधिक मेधावी होने के दावे का प्रश्न है, तो यह है न तो कोई अनुरोध किया और न ही रिकॉर्ड पर दिखाया कि कोई योग्य उम्मीदवार इसमें शामिल है पंजाबी शिक्षक के अंक याचिकाकर्ता से कम थे, याचिकाकर्ता पर वरियता दी गई। इस प्रकार यह पता चलता है कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को, जो पंजाबी में पात्र हैं, जिला श्रीगंगानगर में नियुक्ति दी गई थी। केवल इसलिए कि योग्य उम्मीदवारों के याचिकाकर्ता से कम अंक हैं तो,याचिकाकर्ता को उच्च अंकों का अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह पंजाबी शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य है।
- 8. जो भी हो, अन्यथा भी ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को अनुलग्नक-9 में निहित अनंतिम योग्यता सूची का लाभ उठाने के लिए गुमराह किया गया था जो हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। मान लीजिए कि याचिकाकर्ता ने कभी भी जिला हनुमानगढ़ के लिए आवेदन नहीं किया। जिला संवर्ग का पद होने के नाते, उसे उस जिले के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है, जिसके लिए उसने श्रीगंगानगर में आवेदन किया

है और याचिकाकर्ता द्वारा उक्त जिले में की गई भर्ती प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं बताई गई है।

उपरोक्त आधार में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनाया गया है।
तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।
लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निस्तारण किया जाता है।
अरुण मोंगा, जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।